अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

07
04.09.2023

दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं0 73 आर० 15/2022–23

स्व० भोला प्रसाद पिता स्व० बी० एन० सिंह,
द्वारा वैधानिक प्रतिनिधि
1. श्रीमति सुलोचना देवी पति स्व० भोला प्रसाद
2. पियुश शंकर पिता स्व० भोला प्रसाद
निवासी बी०/2ए०, स्प्रिंग वैली, फेज ।।, न्यु नगड़ाटोली, थाना लालपुर, जिला रॉची ..... प्रार्थी

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची
3. अँचलाधिकारी, नामकुम
4. बालकेश्वर सिंह पिता स्व० मोहर सिंह
5. राज किशोर सिंह
6. तारणी सिंह
7. हीरा सिंह
   सभी पिता स्व० गन्दुर सिंह
   निवासी ग्राम सिदरौल, थाना नामकुम, जिला रॉची ..... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची के द्वारा विविध वाद (जमाबंदी) रद्द सं० 11/2022–23 मे दिनांक 09.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर रॉची ने प्रार्थी के द्वारा दायर ऑनलाईन अपील आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया है।

मौजा सिदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477 रकबा 1.29 ए०, प्लॉट सं० 478 रकबा 0.62 ए० एवं प्लॉट सं० 479 रकबा 0.87 ए० एवं प्लॉट सं० 375 रकबा 0.94 ए० भूमि का नामान्तरण शौकत अली पिता मो० आशिक, रविन्द्र

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

कुमार पिता उमेश्वर प्रसाद, आशुतोश कुमार, पिता दयानन्द प्रसाद एवं मुरलीधर महतो के नाम से दा० खा० वाद सं० 1290 आर० 27/2008–09, दा० खा० वाद सं० 1300 आर० 27/2008–09 एवं दा० खा० वाद सं० 1307 आर० 27/2008–09 क्रमशः द्वारा स्वीकृत हुआ। उक्त नामांतरण वादो मे पारित आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी बालकेश्वर सिंह वगैरह के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 130 आर० 15/2008–09 एवं 18 आर० 15/2009–10 दायर किया, जिसे तत्कालीन उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 27.07.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया। उपरोक्त दाखिल खारिज अपील वाद सं० 130 आर० 15/2008–09 एवं 18 आर० 15/2009–10 मे पारित आदेश दिनांक 27.07.2011 के विरूद्ध बालकेश्वर सिंह वैगरह ने दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 09 आर० 15/2011–12 दायर किया था, जिसे तत्कालीन विद्वान अपर समाहर्त्ता, रॉची ने आदेश दिनांक 17.02.2012 द्वारा स्वीकृत करते हुए तत्कालीन उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 130 आर० 15/2008–09 एवं 18 आर० 15/2009–10 मे पारित आदेश एवं साथ ही साथ अँचलाधिकारी, नामकुम अँचल द्वारा दा०खा० वाद सं० 1290 आर० 27/2008–09, 1300 आर० 27/2008–09 एवं 1307 आर० 27/2008–09 को निरस्त कर दिया तथा अँचलाधिकारी नामकुम को दाखिल खारिज के पूर्व से चल रहे जमाबंदी को यथावत् सुधार करते हुए उत्तरवादी के पक्ष मे पूर्ववत लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त शौकत अली वैगरह ने तत्कालीन विद्वान अपर समाहर्त्ता रॉची के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वादी द्वारा रिट याचिका WP(C) No.-3135/2012 दायर किया गया, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा उत्तरवादी बालकेश्वर सिंह वैगरह प्राधिकार के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर करने के निदेश के साथ उपरोक्त दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 09 आर० 15/2011–12 मे तत्कालीन विद्वान अपर समाहर्त्ता, रॉची द्वारा पारित आदेश दिनांक

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

17.02.2012 को अपास्त कर दिया गया।

उत्तरवादी बालकेश्वर सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के आलोक मे दा० खा० पुनरीक्षण वाद संख्या 77आर०15/2018–19, जिसमें उपायुक्त महोदय ने आदेश दिनांक 05.07.2020 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया *"After considering all arguments, facts and evidence produce from both sides, and after due consideration to the actual current possession of the land under contention, this court observe that neither the petitioner nor the Opp- Parties have true possession of the land. This is highlighted by the ongoing matter before DRT. Therefore this court is constrained to reject this petition and remand the matter to the Circle Officer to conduct an assessment of the current status of the land possession, following which appropriate mutation may be executed"*

उपरोक्त पुनरीक्षण वाद मे पारित उक्त आदेश के अनुपालन मे अँचल अधिकारी, नामकुम (राँची) ने विविध (जमाबंदी संधारण) वाद सं० 21/2020–21 के अभिलेख का संधारण किया, जिसमें उन्होने आदेश दिनांक 16.03.2021 द्वारा उक्त अभिलेख की कार्रवाई इस आशय के साथ समाप्त कर दिया कि प्रश्नगत जमीन से संबंधित वाद मे भोला प्रसाद किसी भी न्यायालय मे पक्षकार नही है। अतः इनका आवेदन विचारणीय/स्वीकार्य नही है। प्रश्नगत जमीन का मामला स्वत्व अधिकार का प्रतीत होता है। ऐसे मामलों का निष्पादन सक्षम न्यायालय के स्तर से ही हो सकता है।

अँचलाधिकारी नामकुम अँचल के द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 16.03.2021 के खिलाफ प्रार्थी भोला प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं० डब्लु० पी० (सी०) सं० 4059/2021 दायर किया। उक्त रिट याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.10.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:–

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	

"However, keeping in view that the aforesaid appeal is pending before the respondent no.3, there is no need to entertain the present writ petition on merit at this stage – It is made clear that the respondent no.3, while adjudicating the aforesaid TR Case no.11 of 2020-21, shall not be prejudiced by the counter affidavit filed by him in the present case and shall proceed to hear the same and to dispose it of in accordance with law on the basis of material available on record preferably within six weeks from today"

प्रार्थी के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची के समक्ष विपक्षी सं० 4 से 7 को पक्षकार बनाते हुए मौजा सिदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477 रकबा 1.29 ए०, प्लॉट सं० 478 रकबा 0.62 ए० एवं प्लॉट सं० 479 रकबा 0.87 ए० कुल रकबा 2.78 एकड़ भूमि की विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी को विलोपित करते हुए अँचलाधिकारी नामकुम को प्रार्थी के पक्ष मे लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध के साथ विविध वाद (जमाबंदी) रद्द सं० 11/2022–23 दायर किया गया, जिसे दिनांक 09.11.2022 को पारित आदेश के द्वारा यह आयोजित करते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर दखल स्पष्ट नही है तथा उत्तरवादी के मध्य प्रश्नगत भूमि के हक, स्वत्वाधिकार एवं दखल इत्यादि को लेकर विवाद है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय द्वारा ही संभव है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – प्रार्थी स्व० भोला प्रसाद ने मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 478 रकबा 0.38 ए० एवं प्लॉट सं० 479 रकबा 0.87 ए० भूमि शौकत अली, मुरलीधर महतो, रविन्द्र कुमार, आशुतोष कुमार से निबंधित पट्टा सं० 18549 दि० 11.11.2009, 18551 दि० 11.11.2009 एवं 7101 दि० 29.03.2010 क्रमशः द्वारा प्राप्त किया था। उपरोक्त भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के नाम से अँचलाधिकारी, नामकुम अँचल द्वारा दा०खा० वाद सं० 2013 आर० 27/2010–11 एवं 2022 आर० 27/2010–11 दिनांक 11.11.2009 एवं दा०खा० वाद सं०

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2023 आर० 27/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.2010 द्वारा क्रमशः स्वीकृत किया गया।

मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477 रकबा 0.65 ए० भूमि को प्रार्थी के पुत्र श्री हरिशंकर प्रसाद ने शौकत अली एवं अन्य के द्वारा निष्पादित निबंधित पट्टा सं० 18320 दि० 07.11.2009 द्वारा प्राप्त किया है । उक्त भूमि का नामान्तरण अँचलाधिकारी नामकुम अँचल द्वारा दा०खा० वाद सं० 2020 आर० 27/2010–11 मे दिनांक 11.10.2009 द्वारा स्वीकृत किया गया।

मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477 रकबा 0.29 ए०, प्लॉट सं० 478 रकबा 0.24 ए० भूमि को प्रार्थी सं० 1 श्रीमति सुलोचना देवी ने उपरोक्त शौकत अली एवं अन्य के द्वारा निष्पादित निबंधित पट्टा सं० 18318 दि० 07.11.2009 द्वारा प्राप्त किया है।उक्त भूमि का नामान्तरण अँचलाधिकारी नामकुम अँचल द्वारा दा०खा० वाद सं० 2021 आर० 27/2010–11 मे दिनांक 11.10.2009 द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त भूमि को प्रार्थी एवं उनके परिवार के द्वारा क्रय करने के उपरान्त वे उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक दखलकार हुए तथा उसे बंधक रख कर युनियन बैंक ऑफ इण्डिया से लोन प्राप्त किया है।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को क्रय करने के पूर्व उक्त भूमि की जमाबंदी प्रार्थी के विक्रेता शौकत अली वैगरह के नाम से जमाबंदी दा०खा० वाद सं० 1290 आर० 27/2008–09, 1300 आर० 27/2008–09 एवं 1307 आर० 27/2008–09 द्वारा कायम था एवं प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के उपरान्त उक्त भूमि की जमाबंदी उपरोक्त वर्णित नामान्तरण वाद मे पारित आदेशानुसार वैधानिक तरीके से प्रार्थी के पक्ष मे कायम हुआ। अँचलाधिकारी के द्वारा उपरोक्त नामान्तरण वाद मे आदेश पारित करने के पूर्व प्रश्नगत भूमि पर दखल संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था, जिसमें प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर दखलकार दर्शाया गया है । प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त भूमि को बंधक रखकर

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, डोरन्डा शाखा से ऋृण प्राप्त किया गया है, जिसमे बैंक के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का दखल इत्यादि की जॉच पड़ताल करने के उपरान्त ऋृण निर्गत किया गया है।

उपरोक्त भूमि की खरीदगी के उपरान्त प्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए, परन्तु उत्तरवादीगण के द्वारा बलपूर्वक प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया गया। उपरोक्त घटना की जानकारी प्रार्थी के द्वारा दिनांक–27.09.2022, दिनांक 16.01.2022 एवं दिनांक 20.02.2022 को क्रमशः अधोहस्ताक्षरी, वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची एवं थाना प्रभारी नामकुम को दी गयी, परन्तु कोई कार्रवाई नही होने के फलस्वरूप तत्पश्चात् प्रार्थी ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रॉची के समक्ष शिकायत (Complain) केस सं० 9243/2022 दायर किया गया, जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा नामकुम थाना को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अग्रसारित कर दिया गया, जिसके आलोक मे नामकुम थाना के द्वारा नामकुम थाना सं० 396/2022 धारा 147/148/149/468/471/420/120(बी०)/406/504/506 भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

उत्तरवादी के द्वारा दावा किया गया है कि स्वत्व वाद सं० 84/1944 मे विद्वान अवर न्यायाधीश रॉची के द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 14.01.1946 एवं डिक्री दिनांक 12.02.1946 द्वारा मौजा सिदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65 की वादग्रस्त भूमि का स्वत्वाधिकार इत्यादि की घोषणा उनके पूर्वज के पक्ष मे की गई है, परन्तु उपरोक्त न्यायादेश एवं डिक्री के अवलोकन से विदित होगा कि मौजा सिदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477, प्लॉट सं० 478 एवं प्लॉट सं० 479 उक्त स्वत्व वाद की विषयवस्तु नही है।

प्रार्थी के पक्ष मे स्वयं अँचलाधिकारी के द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया तथा बगैर किसी वैधानिक प्रावधान के उनके द्वारा अपने ही आदेश को समीक्षा करते हुए जमाबंदी को बंद करने की कार्रवाई की

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

गई है।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477 रकबा 1.29 ए०, प्लॉट सं० 478 रकबा 0.62 ए० एवं प्लॉट सं० 479 रकबा 0.87 ए० भूमि आर० एस० खतियान मे मो० हुलास कुंवर पति गणपत सिंह, एक हिस्सा मेघनाथ सिंह, मोहन सिंह पति छत्रु सिंह एक हिस्सा एवं ठाकुर सिंह वो पुनई सिंह एक हिस्सा दर्ज है। उत्तरवादी खतियानी रैयत मोहन सिंह एवं ठाकुर सिंह के वंशज है। प्रार्थी के विक्रेता शौकत अली, मुरलीधर महतो, रविन्द्र कुमार, आशुतोष कुमार प्रश्नगत भूमि निबंधित विक्रय विलेख सं० 4385 दि० 04.03.2008, 4060 दि० 07.03.2008 एवं 4059 दि० 07.02.2008 द्वारा नागेश्वर सिंह, मथुरा सिंह, सुन्दर सिंह पिता नंनु सिंह, बिहारी सिंह पिता स्व० जनक सिंह द्वारा अधिकृत पावर ऑफ ऑटोर्नी धारक गुरूचरण सिंह से प्राप्त किया है। उपरोक्त विक्रेतागण स्वयं को पुनई सिंह का वंशज बतला कर उक्त निबंधित पट्टे का निष्पादन किया है, परन्तु उपरोक्त विक्रेतागण नगेश्वर सिंह वैगरह के पूर्वज तथा उत्तरवादी के पूर्वज के मध्य मौजा सिदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65 की भूमि पर अपना स्वत्वाधिकार इत्यादि की घोषणा हेतु स्वत्व वाद सं० 84/1944 दायर किया था, जिसे विद्वान अवर न्यायाधीश रॉची ने अपने न्यायादेश दिनांक 14.01.1946 एवं डिक्री दिनांक 12.02.1946 द्वारा खारिज करते हुए मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65 की वादग्रस्त भूमि का स्वत्वाधिकार इत्यादि की घोषणा उत्तरवादी के पूर्वज के पक्ष मे की गई है। वर्ष 2008 मे उपरोक्त नागेश्वर सिंह वैगरह ने उत्तरवादी / बालकेश्वर सिंह द्वारा दायर शिकायत वाद सं० 2175/2008 मे एक समझौता पत्र दायर किया था, जिसमे उन्होने स्वीकार किया है कि उन्हे मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65 की भूमि पर उन्हे कोई हक, हकियत या दखल प्राप्त नही है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अभिलेख के समग्र अवलोकन से यह विदित होता है कि यह विदित होता है कि विद्वान अॅचलाधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 12.02.2021 मे उल्लेखित किया है कि ग्रामसभा एवं चौहद्दीदारों द्वारा दिये गये बयान मे भी क़ही भी भोला प्रसाद के दखल संबंधी वस्तुस्थिति स्पष्ट नही की गई है, जबकि विद्वान अॅचल अधिकारी, नामकुम, रॉची के द्वारा विविध (जमाबंदी संधारण) वाद सं० 21/2020–21 मे पारित आदेश दिनांक 16.03.2021 से विदित होता है कि उनके द्वारा उक्त वाद को इस आशय के साथ समाप्त कर दिया कि प्रश्नगत जमीन से संबंधित वाद मे भोला प्रसाद किसी भी न्यायालय मे पक्षकार नही है। विद्वान अॅचलाधिकारी नामकुम के द्वारा उक्त वाद मे दखल संबंधी कोई टिप्पणी नही की गई है, जबकि दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं० 77 आर० 15/2018–19 मे उन्हे प्रश्नगत भूमि पर पक्षकारो के दखल के आधार पर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया था। विद्वान निम्न न्यायालय के द्वारा आयोजित किया गया है कि भोला प्रसाद के दखल संबंधी वस्तुस्थिति स्पष्ट नही है, परन्तु प्रार्थी के पक्ष मे नामान्तरण वाद का स्वीकृति होना, बैंक द्वारा प्रार्थी को ऋण प्रदान करना तथा प्रार्थी के द्वारा दिनांक 16.01.2022, दिनांक 20.02.2022 एवं 27.09.2022 को वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची एवं थाना प्रभारी नामकुम एवं अधोहस्ताक्षरी क्रमशः के समक्ष आवेदन तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रॉची के समक्ष शिकायत (Complain) केस सं० 9243/2022 दायर करना, इस तथ्य को प्रथम दृष्टया बल प्रदान करता है कि प्रार्थी के पक्ष मे अॅचलाधिकारी, नामकुम अॅचल के द्वारा दा०खा० वाद सं० 2013 आर० 27/2010–11 एवं 2022 आर० 27/2010–11 दिनांक 11.11.2009 एवं दा०खा० वाद सं० 2023 आर० 27/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.2010 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत होने के समय उनको प्रश्नगत भूमि पर दखल प्राप्त था एवं उन्हे हाल मे बेदखल कर दिया है।

उत्तरवादी के द्वारा दावा किया गया है कि स्वत्व वाद सं० 84/1944 मे विद्वान अवर न्यायाधीश रॉची के द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 14.01.1946 एवं डिक्री दिनांक 12.02.1946 द्वारा मौजा सिंदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65 की

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

वादग्रस्त भूमि का स्वत्वाधिकार इत्यादि की घोषणा उनके पूर्वज के पक्ष मे की गई है, परन्तु उपरोक्त न्यायादेश एवं डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट कि मौजा सिदरौल, थाना नामकुम, थाना सं० 218, जिला रॉची के खाता सं० 65, प्लॉट सं० 477, प्लॉट सं० 478 एवं प्लॉट सं० 479 उक्त स्वत्व वाद की विषयवस्तु नही है, अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उत्तरवादी का दावा संधारणीय प्रतीत नही होता है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा विविध वाद (जमाबंदी) रद्द सं० 11/2022–23 मे दिनांक 09.11.2022 को पारित आदेश निरस्त करते हुए अॅचलाधिकारी नामकुम को यह निदेश दिया जाता कि वे प्रार्थी की जमाबंदी को पुनः बहाल करते हुए लगान रसीद निर्गत करे । उभय पक्ष यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि के न्यायिक निर्णय हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दाखिल कर सकते है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.09.27 04:35:03 -07:00
Location: 192.168.1.3